144

संख्या-3414/1-10-2013-33(201)/13

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ:: दिनांक:: 31 दिसम्बर, 2013

विषय:-तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि क्रय कर नि:शुल्क आवंटन कराये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1666/ओ0एस0डी0, दिनांक 07-10-2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है ग्राम तुरकौलिया नायक, भिखारीपुर व असरफपुर तहसील घनघटा जनपद संतकबीरनगर में घाघरा नदी के बायीं ओर स्थित मदरहा-बहराडाडी तटबन्ध के टूट जाने के कारण तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के 95 परिवारों को सम्बन्धित ग्राम सभाओं में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु 1.5 हे0 भूमि के नियमानुसार क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 48,00,000/- (रूपये अड़तालिस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रख कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय भूमि क्रय सम्बन्धी सुसंगत नियम एवं शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

4- तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर नि:शुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2010/1-10-2012-33(37)/12-टी0सी0-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये ।

6- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-2097/एक्स/2013, दिनांक 18.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3414 (1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संतकबीरनगर ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।